अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 2922(E)/ ~~ /पटना, दिनांक 29.4.16

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभाग के संवेदकों को कालीसूची में डालने/कालीसूची से विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदकों को कालीसूची में डालने/कालीसूची से विमुक्त करने संबंधी निम्न संवेदकों की आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1.	धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, हैदराबाद (नि0सं0–3/2012) (प्रथम श्रेणी)	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–5210 दि०–19.10.2015	अपील अभ्यावेदन को खारिज करते हुए आदेश सं०–955 दिनांक–18.02.2015 को सम्पुष्ट किया गया।
2.	मेसर्स यू० एण्ड एम० इन्टरप्राईजेज प्रो०–उमेश सिंह, सहजोरी, चित्रा, पी०एस० चित्रा, देवघर, झारखंड। (नि0सं0–96/2009 श्रेणी–1)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–12041 दि०–27.10.2015	विभाग द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए कार्यालय आदेश सं०–303 दिनांक–10.10.2014 को निरस्त किया गया।
3.	मेसर्स राजकेश कन्सट्रक्शन ग्राम–अमीरपुर, पो०–नावानगर, जिला–बक्सर (नि0सं0–1190/2009 श्रेणी द्वितीय)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–11852 दि०–12.10.2015	कालीसूची में डाला गया है।
4.	श्री उमेश सिंह, मौलाबाग, आरा, जिला–भोजपुर। (नि0सं0–1915/2009 श्रेणी–द्वितीय)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–11851 दि०–12.10.2015	कालीसूची में डाला गया है।
5.	जय माँ कन्सट्रशन, मीरगंज, आरा, भोजपुर (नि०सं०–368/2008, श्रेणी–तृतीय)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–11850 दि०–12.10.2015	कालीसूची में डाला गया है।
6.	मेसर्स इंपीरियल फाउण्डेशन, दीघा मोड, पटना (नि०सं०–158/2006 श्रेणी–द्वितीय)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–11849 दि०–12.10.2015	कालीसूची में डाला गया है।

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\MANGAL\DRAFT\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX

7.	मेसर्स डी०एन०ए० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० G-11, सेक्टर–II नोयडा (नि०सं०–410 / 2010)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–2873 दि०–28.12.2015	पाँच वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।
8.	मेसर्स यू० एण्ड एम० इन्टरप्राईजेज प्रो०–उमेश सिंह, सहजोरी, चित्रा, पी०एस० चित्रा, देवघर, झारखंड। (नि0सं0–96 / 2009 श्रेणी–प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–12731 दि०–04.12.2015	कालीसूची से विमुक्त किया गया।
9.	मेसर्स राजा कन्सट्रक्शन, प्रो०–भरतदेव सिंह यादव, अशोकनगर रामपुर, गया (नि०सं०–105 / 1998 श्रेणी–प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–12346 दि०–20.11.2015	कालीसूची में डाला गया है।
10	मेसर्स माँ बन्जारी कन्सट्रक्शन एण्ड कम्पनी, नमस्कार कुंज अपार्टमेन्ट, 104, कृषि नगर, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना (नि०सं०–245 / 2008 श्रेणी–द्वितीय)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–12453 दि०–24.11.2015	कालीसूची से विमुक्त किया गया।
.11	श्री सहेन्द्र सिंह, महाजन टोली नं०–1, पो०–आरा, जिला–भोजपुर (नि०सं०–419 / 2001 श्रेणी–प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–294 दि०–08.01.2016	कालीसूची में डाला गया ।
12	सत्येन्द्र कुमार कन्सट्रक्शन प्रा०लि० 202, हीरा इन्कलेव, न्यू डाक बंगला रोड, पटना–800001 (नि०सं०–34 / 2009 प्रथम श्रेणी)	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–568 दि०–28.01.2016	दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया ।
13	श्री राजीव कुमार सिंह, महनार इन्फ्राटेक प्रा०लि०, महनार (नि०सं०–4019 / 2013 द्वितीय श्रेणी)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–1985 दि०–23.02.2016	पाँच वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।
14	श्री राजीव कुमार सिंह, महनार इन्फ्राटेक प्रा०लि०, महनार (नि०सं०–4019 / 2013 द्वितीय श्रेणी)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–2112 दि०–25.02.2016	ज्ञापांक–1985 दिनांक–23.02.2016 को निरस्त करते हुए दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।
15	श्री किशोर कुमार वर्मा सोनादेवी पथ, नौरंगाबाद, बेतिया (नि०सं०–तृतीय III (व्यक्तिगत) 29 / 2015)	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–1372 दि०–04.02.2016	कालीसूची में डाला गया ।
16	चन्द्र प्रकाश, मु०–नवरतन हाता, थाना–के० हाट, जिला–पूर्णियां नि०सं०–	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–623 दि०–24.01.2016	10 वर्षो के लिए व्यक्तिगत / फर्म / कम्पनी के नाम से विभाग में निबंधन किये जाने पर रोक लगाया गया है।
17	मेसर्स दुर्गा कन्सट्रक्शन, क्रिश्चियन क्वार्टर, बेतिया नि०सं०–मुख्य अभियंता (द्वितीय)–1417 / 82)	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–1373 दि०–04.02.2016	कालीसूची में डाला गया ।
18	मेसर्स पूनम कन्सट्रक्शन विश्वनाथनगर, बेगूसराय । (नि०सं०–849 / 1993)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–1395 दि०–11.02.2016	कालीसूची में डाला गया ।
19	मेनहर्ट सिंगापुर प्रा० लि० ए०–8, सेक्टर–16 नोएडा, उत्तरप्रदेश–201301 नि०सं०–	भवन निर्माण विभाग, झारखंड, रॉची	ज्ञापांक–323 (भ) दि०–02.02.2016	पन्द्रह वर्षो के स्थान पर दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।

20	Hi-Tech Electronice Eye Systems, 181 2nd floor, Maharaja Kameshwar Complex, Fraser Road, Panta-1 नि०सं०–	खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–465 दि०–16.02.2016	कालीसूची में डाला गया ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–प्र०–6/विविध–164/2010– /पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/16

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव

29/4/16

Subject: **Regarding Action Taken on Hi-Tech Electronic Eye System**
To: secy-home-bih@nic.in, secy-par-bih@nic.in, apc-bih@nic.in, secyahd-bih@nic.in, secy-bcebc-bih@nic.in, secy-bcd-bih@nic.in, cct@bihar.gov.in, secy-disastermgmt-bih@nic.in, ceo_bihar@eci.gov.in, secy-reg-bih@nic.in, secy-fsc-bih@nic.in, efd-bih@nic.in, health-bih@nic.in, secy-edn-bih@nic.in, prsecy.ind-bih@nic.in, prsec_it@bihar.gov.in, seclab-bih@nic.in, secy-law-bih@nic.in, secymine-bih@nic.in, secmnir-bih@nic.in, min-welfare-bih@nic.in, secy-panchayat-bih@nic.in, prsecy-paffair-bih@nic.in, secy-plandev-bih@nic.in, secy-phed-bih@nic.in, secyrcd-bih@nic.in, secy-reo-bih@nic.in, secy-welfare-bih@nic.in, science_technology@bihar.gov.in, secysw-bih@nic.in, secy-tourism-bih@nic.in, transecy-bih@nic.in, urbansec-bih@nic.in, svccvd@nic.in, wrd-bih@nic.in, secysd-bih@nic.in, secart-bih@nic.in, cooperative-bih@nic.in, Secy_cabsec@bihar.gov.in

Date: 02/16/16 07:02 PM
From: secymine-bih <secymine-bih@nic.in>

1327

पंजियन सं० 1275
17 FEB 2016

Block Cutting

465_0001.pdf (326kB)

Res[ected Sir,

pfa

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

आदेश

खान एवं भूतत्व विभाग के जिम्मे राज्य की खनिज धरोहर की रक्षा, उत्खनन एवं राजस्व संग्रहण का मुख्य कार्य है। विभाग द्वारा राजस्व समाहरण में वृद्धि, अवैध उत्खनन पर रोक, चालान के बिना परिवहन पर रोक आदि के लिए सतत अनुश्रवण की व्यवस्था हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा है। दिनांक 05.07.14 को खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बालूघाटों पर अवैध उत्खनन की रोकथाम, ओवर लोडिंग की समस्या, बिना चालान के परिवहन करने एवं गीले बालू की ढुलाई से सड़कों को हो रही क्षति पर सतत निगरानी रखने हेतु राज्य के प्रमुख बालूघाटों के प्रेषण स्थल पर Digital Computerized (web enabled) Surveillance System with Solar Power backup के Pilot Basis पर अधिष्ठापन प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित योजना के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। इसी क्रम में निविदा के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 21.01.2015 को एकल निविदाकार सर्वश्री Hi-Tech Electronic Eye Systems, 181, 2nd Floor, Maharaja Kameshwar Complex Fraser Road, Patna-1 की निविदा दर को 4% कटौती करते हुए Pilot Basis पर Digital Computerized (web enabled) Surveillance System with Solar Power backup स्थापित करने एवं एतद् कार्यादेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सर्वश्री Hi-Tech Electronic Eye Systems का Regd. Office Address-181, 2nd Floor, Maharaja Kameshwar Complex, Fraser Road, Patna-1, Bihar, India है तथा इसके Contact Person श्री चन्द्र भूषण तिवारी हैं। सर्वश्री Hi-Tech Electronic Eye Systems का VAT No.-10150546086, CST No.-10150546183, PAN No.-ACMPT9676R एवं Service Tax No.-ACMPT9676RSD001 है।

2. तद्नुसार, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य के पाँच महत्वपूर्ण बालूघाटों (परेव घाट (बिहटा, पटना), जनकपुर घाट (अरवल), शर्मा घाट (जहानाबाद), अश्विनी घाट (बाँका) एवं खैरी घाट (लखीसराय) पर पायलट (Pilot) प्रोजेक्ट के तहत Digital Computerized (web enabled) Surveillance System with Solar Power backup स्थापित करने एवं प्रवर्तन में लाने हेतु दिनांक 10.03.15 का एक ओर सर्वश्री Hi-Tech Electronic Eye Systems, 181, 2nd Floor, Maharaja Kameshwar Complex, Fraser Road, Patna-1 एवं दूसरी ओर अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के मध्य एकरारनामा किया गया।

3. कार्यादेश संख्या 331/एम0 दिनांक 29.01.15 के अनुसार Hi-Tech Electronic Eye Systems, 181, 2nd Floor, Maharaja Kameshwar Complex, Fraser Road, Patna-1

(325)

को कार्य हेतु चयनित किया गया। उक्त कार्यादेश की कंडिका-3 के अनुसार कार्यावंटन के आलोक में कार्य निष्पादन के पश्चात विपत्र के भुगतान की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्न प्रकार निर्धारित की गयी :-

i. (क) एक यूनिट की प्राक्कलित राशि - 9,55,300/-
(ख) क्रय समिति द्वारा प्रावकलित राशि - 38,212/-
का 4 प्रतिशत कम दर
देय राशि - 9,17,088/-
(ग) कुल 5 यूनिट का लागत राशि - 9,17,088X5
= 45,85,440/-

ii. Vat, S.T., I.T इत्यादि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

iii. वारंटी अवधि में कम से कम एक साल तक देख-रेख बिना किसी भुगतान के करना होगा।

iv. वारंटी अवधि में 10 (दस) प्रतिशत सुरक्षित राशि, कुल राशि का ₹4,58,544/- (चार लाख अंठावन हजार पांच सौ चौआलीस) बैंक गारंटी (Nationalised Bank का) के रूप में एक वर्ष के लिए एकरारनामा के समय जमा करना होगा।

v. अधिष्ठापन का पूरा कार्य उप निदेशक (ख0वि0) के पूर्ण देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में होगा। उनसे प्राप्त प्रमाण के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

vi. विभाग में केन्द्रित रूप से अधिष्ठापित एवं विकसित की गयी प्रोजेक्ट की मोनिटिरिंग की जानकारी हेतु व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जायेगी तथा इस कार्य के लिए विभाग के आई0टी0 मैनेजर को प्रशिक्षित भी करना होगा।

vii. सभी कार्य का सम्पादन एक माह में पूर्ण करना होगा।

viii. बालूघाटों के डिसपैच प्वाईन्ट पर यथा निदेशित सिस्टम का अधिष्ठापन निम्न स्थानों पर कम्पनी द्वारा करना होगा-
जहानाबाद, अरवल, हल्दी छपरा (सारण), लखीसराय एवं बाँका

ix कार्य आरम्भ करने से पूर्व विभाग के साथ एकरारनामा करना होगा।

x सिस्टम के प्रतिष्ठापन के संबंध में प्रगति की सूचना समय-समय पर विभाग को देनी होगी।

4. विभागीय पत्रांक 792/एम0, पटना, दिनांक 10.03.15 के द्वारा ज्ञापांक 331/एम0, पटना, दिनांक 29.01.15 की कंडिका-3 भाग-(viii) का आंशिक संशोधन करते हुए वर्णित स्थान हल्दी छपरा (सारण) के स्थान पर पटना जिला के बिहटा स्थिति परेब बालूघाट कर दिया गया।

5. पुनः पत्रांक 488/एम0, पटना, दिनांक 14.03.15 के द्वारा Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1 को बालूघाटों पर Computerized Surveillance Systems स्थापित करने /लगाये जाने के उपरांत ₹4585440/- (पैंतालीस लाख पचासी हजार चार सौ चालीस) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. एकरारनामे के अनुसार संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) द्वारा निविदा डाक्यूमेंट, एग्रीमेंट एवं अन्य शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विभाग (खान एवं भूतत्व विभाग) बिना पक्षपात के लिखित नोटिस देने के लिए, चेतावनी देने के लिए एवं एग्रीमेंट खत्म करने के लिए स्वतंत्र होगा। विभाग संवेदक के द्वारा किसी उल्लंघन के एवज में भरपाई का दावा कर सकता है और संवेदक की असफलता के कारण शर्तों एवं बंधेजों के उल्लंघन से हुए नुकसान के उचित मुआवजे का दावा भी कर सकता है, जो विभाग द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया जायेगा। कथित प्रमाण-पत्र संवेदक के द्वारा भुगतेय मुआवजे के लिए निर्णयात्मक साक्ष्य होगा।

7. एकरारनामे के अनुसार एकरारनामा एवं इसकी व्याख्या से उपजने वाले सभी प्रश्न एवं विवादों का निर्णय खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार द्वारा पटना में तय किया जायेगा और विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. किन्तु संवेदक द्वारा निविदा एवं एकरारनामा की शर्तों का व्यापक उल्लंघन एवं अतिक्रमण किया गया। Computerized Surveillance Systems स्थापित होने के प्रारम्भ से ही सुचारू रूप से कार्यरत नहीं पाया गया। सिर्फ एक बार तत्कालीन उपनिदेशक (ख0वि0) द्वारा दिनांक 13.03.15 को सभी पाँच जिलों में उक्त सिस्टम के माध्यम से ली जा रही लाइव तस्वीर देखे जाने की पुष्टि की गई। उसके बाद विभाग के आई0टी0 मैनेजर, जिन्हें सर्विलांस सिस्टम के अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गयी, की विभिन्न अनुश्रवण रिर्पोटों (दिनांक 15.07.15, दिनांक 27.07.15, दिनांक 03.08.15, दिनांक 10.08.15, दिनांक 13.08.15, दिनांक 24.09.15, दिनांक 04.12.15 एवं दिनांक 06.01.16) में सिस्टम के लगातार अकार्यरत रहने की बात दर्ज की गयी है। विभाग द्वारा बार-बार प्रतिवेदन की माँग किये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा विभाग को प्रतिवेदन भी ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता रहा है। विभागीय पत्रांक 2583/एम0, पटना, दिनांक 10.07.15, पत्रांक 2908/एम0, पटना, दिनांक 28. 07.15, पत्रांक 3139/एम0, पटना, दिनांक 14.08.15, पत्रांक 3425/एम0, पटना, दिनांक 02. 09.15, पत्रांक 3752/एम0, पटना, दिनांक 15.10.15, पत्रांक 3753/एम0, पटना, दिनांक 15. 10.15, पत्रांक 3822/एम0, पटना, दिनांक 27.10.15, पत्रांक 3823/एम0, पटना, दिनांक 27.10.15 एवं पत्रांक 4201/एम0, पटना, दिनांक 10.12.15 द्वारा संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) को बार-बार चेतावनी दी गयी।

9. पत्रांक 3823/एम0, पटना, दिनांक 27.10.15 की कंडिका-3 में संवेदक को स्पष्ट किया गया-''मात्र घाटों पर कैमरा इत्यादि अधिष्ठापित कर देने मात्र से Surveillance System के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती है। वर्त्तमान व्यवस्था मात्र हार्डवेयर की सप्लाई से संबंधित नहीं है, बल्कि लगातार सुचारू रूप से सेवा उपलब्ध कराने से है। यदि सभी घाटों पर लगातार कैमरे के विडियो या चित्र देखना संभव नहीं होगा, तो आपका कार्य पूर्ण नहीं माना जायेगा, और आपके द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई

323

की जायेगी, और राज्य स्तर पर आपके संस्थान को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई भी की जायेगी।''

10. पुनः पत्रांक 4201/एम0, पटना, दिनांक 10.12.15 की कंडिका-3 में संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1 को लिखा गया:- ''निदेशानुसार आपको अंतिम चेतावनी देते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त पाँचों बालूघाटों पर अधिष्ठापित Computerized Surveillance System आज की तिथि से सुचारू रूप से कार्यरत नहीं पाये जाने पर आपके द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी को जब्त कर भुगतान की गयी राशि के समतुल्य मुआवजा की वसूली की कार्रवाई की जायेगी और आपके संस्थान को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।'' इसके उपरांत दिनांक 06.01.2016 को विभाग के आई0टी0 मैनेजर की अनुश्रवण रिपोर्ट में लिखा गया:-''दिनांक 07.12.2015 से 05.01.2016 तक सभी कार्य दिवसों पर अनुश्रवण किया गया। अनुश्रवण के दौरान पाया गया कि उक्त सभी बालूघाट पर लगे Surveillance System पूर्व की तरह अकार्यरत हैं।''

11. इस प्रकार सिद्ध होता है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद संवेदक के द्वारा अधिष्ठापित Computerized Surveillance Systems वारंटी अवधि में भी ठीक से कार्य करता हुआ नहीं पाया गया एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए संवेदक के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। संवेदक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया, किन्तु संवेदक द्वारा घोर अरूचि का प्रदर्शन किया गया। अतः यह माना जा सकता है कि संवेदक द्वारा जान-बूझ कर अपने कार्य में लापरवाही बरती गयी और पूर्व निर्धारित नियमों और बंधेजों का उल्लंघन किया गया। कर्त्तव्य के प्रति संवेदक की उपेक्षा से यह भी सिद्ध होता है कि संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) सरकारी कार्य करने के सर्वथा अयोग्य हैं और उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज कर दिया जाना चाहिए।

12. अतएव, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं-

1. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) के साथ किये गये एकरारनामे को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
2. संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी की राशि ₹458544/-(चार लाख अंठावन हजार पाँच सौ चौवालिस) जब्त की जाती है।
3. संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) को विभाग द्वारा भुगतान की गयी राशि ₹4585440/- (पैंतालीस लाख पचासी हजार चार सौ चालीस) के समतुल्य मुआवजे की वसूली की कार्रवाई उप निदेशक (मु0) द्वारा की जायेगी।

322

4. संवेदक (Hi-Tech Electronic Eye Systems, Fraser Road, Patna-1) के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उनका नाम काली सूची (Black List) में दर्ज किया जाता है।

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-02(ब0)(विविध)-04/14..............................एम0, पटना, दिनांक-...............

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-02(ब0)(विविध)-04/14.........165.........एम0, पटना, दिनांक-16/2/16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16

सरकार के अवर सचिव